

10

सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन निम्नवर्णित शैड्यूल में वर्णित निर्धारित अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी के नियम व शर्तें, ई-नीलामी सूचना जो 15.1.17 को द हिंदुस्तान टाइम्स एवं पंजाब केसरी में प्रकाशित हुई थी।

बिक्री सिन्डिकेट ईस्ट इनफोर्सेमेंट रूलज 2002 में निर्धारित शर्तों से परिपूर्ण एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों से संबंधित होगी:

1. बैंक ने सरफेसी एक्ट के अधीन निम्नवर्णित शैड्यूल में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है।
2. ई-नीलामी 'जैसे है जहां है' आधार पर, 'जैसे है जो है' आधार पर एवं 'जो है जहां भी है' एवं बिना रिकोर्स के की जा रही है।
3. संबंधित अधिकृत अधिकारी की सही जानकारी व सूचना के लिए किसी सम्पत्ति पर कोई देनदारी नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीकर्ता को देनदारियां, नीलामी में डाली जाने वाली सम्पत्ति/यों के टाइटल एवं सम्पत्ति को प्रभावित करते दावे/ अधिकार, संबंधी पूछताछ अपनी बोली जमा कराने से पूर्व स्वतंत्र रूप से करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा रिप्रेजेंटेशन का गठन नहीं करता है तथा गठनकर्ता नहीं माना जाएगा। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात व अज्ञात सभी मौजूदा व अतिरिक्त देनदारियों के साथ बेची जा रही है। संबंधित अधिकृत अधिकारी/सिन्डिकेट क्रेडिटर किसी थर्ड पार्टी दावों/अधिकारों/देयों के लिए किसी भी माध्यम से उत्तरदायी न होगा।
4. बोली जमा कराने से पूर्व सम्पत्तियों व स्पैसिफिकेशन संबंधी निरीक्षण व स्वयं को संतुष्ट करना बोलीकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी पर डाले जानी सम्पत्ति/यों का निरीक्षण प्रत्येक सम्पत्ति विवरण के समय निर्दिष्ट अनुरूप स्थलों पर इच्छुक बोलीकर्ताओं को करने की आज्ञा होगी।
5. इच्छुक बोलीकर्ता लॉगइन आईडी व पासवर्ड द्वारा बैंक पोर्टल <https://www.bankeauctions.com> (यूजर आईडी व पासवर्ड <https://www.bankeauctions.com> से अपने नाम पंजीकृत कराते हुए निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।) ईएमडी 20.2.17 को या पूर्व सायं 4.00 बजे तक एचडीएफसी बैंक लिमि. खाता सं. 02400930000063 के पक्ष में जारी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या निम्नलिखित खाता 02400930000063, खाता का नाम: फंड क्लियर किए जाएं, डोक. सर्व, लाभप्राप्ती का नाम: एचडीएफसी बैंक लिमि., आईएफएससी कोड: HDFC0000240 में नैफ्ट/आरटीजीएस द्वारा देय होगी। नैफ्ट/ आरटीजीएस इच्छुक बोलीकर्ताओं के खाते से की जाएगी तथा जिसके विवरण बैंक पोर्टल में निर्दिष्ट होंगे। एचडीएफसी बैंक लिमि. के पक्ष में जारी डीडी/ पे-आर्डर बोली में भाग लेने के पत्र के साथ किसी सूचीबद्ध कमरिशियल बैंक को जारी लुधियाना में देय किया जाना है, अधिकृत अधिकारी श्री मधुर शर्मा 20.02.17 को 16.00 बजे तक या पूर्व एचडीएफसी बैंक लिमि. डिपा., फॉर स्पेशल आप्रेशनस प्लाट एंड शैड नं. बी-XV-168/1 मिलरगंज निकटतम मंजु सिनेमा, लुधियाना को पहुंच जानी चाहिए।
6. बैंक पोर्टल में बोलीकर्ता द्वारा पंजीयन (एकमुश्त) के पश्चात इच्छुक बोलीकर्ता/खरीदार को बोली दस्तावेजों को जमा कराने की अंतिम तिथि व समय से पूर्व बैंक पोर्टल में अपलोडिड निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अर्थात (i) नैफ्ट/आरटीजीएस चालान की प्रति या भागीदारी के पत्र के साथ डिमांड ड्राफ्ट की कापी (ii) पैन कार्ड की कापी (iii) पहचान प्रमाण/ पता प्रमाण (केवाईसी) अर्थात वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ राशन कार्ड इत्यादि की स्व:सत्यापित कापी प्राप्त करना अपेक्षित है जिसके बिना बोली रद्द कर दी जाएगी। **एनैक्सचर II व III की स्कैन प्रति की अपलोडिंग (बैंक पोर्टल <https://www.bankeauctions.com>) से डाऊनलोड किए जा सकते हैं।) विधिवत भरने के पश्चात एवं हस्ताक्षरित भी अपेक्षित है।**
7. इच्छुक बोलीकर्ता जो लॉगइन आईडी व पासवर्ड बनाने, ई-बोली प्रक्रिया इत्यादि पर ट्रेनिंग, बोली जमा, अपलोडिंग डाटा से सहायता चाहते हैं मैसर्स सी 1 इंडिया प्रा. लि. प्लाट नं. 301, गल्फ पैट्रो कैम बिल्डिंग उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव, हैल्पलाइन नं. 0124-4302020/21/22/23/24, श्री जितेंद्र सिंह मोबाइल नं. 09463340871, हैल्पलाइन ई-मेल आईडी support@bank.eauctions.com एवं सम्पत्ति संबंधी किसी पूछताछ के लिए सम्पर्क करें श्री मधुर शर्मा (अधिकृत अधिकारी, मो.नं. 93560-70006, ई-मेल आईडी madhursharma@hdfcbank.com कार्यदिवसों को कार्यालय समय दौरान (प्रातः 10 से सायं 5 बजे) से सम्पर्क कर सकते हैं।
8. केवल बैंक यूजर आईडी/पासवर्ड धारक खरीदार एवं नैफ्ट/ आरटीजीएस की सुनिश्चित पेमेंट ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने योग्य होगा।
9. इच्छुक बोलीकर्ता को संबंधित अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति एवं/या (दस्तावेजों के) सत्यापन के संबंध में ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रजिस्टर प्रक्रिया (एकमुश्त) एवं उनका यूजर आईडी व पासवर्ड जैनेरेट करने के पश्चात 20.2.17 को/पूर्व 4.00 बजे सायं तक अपने बोली दस्तावेज (ईएमडी आरक्षित कीमत से 10% से कम नहीं) एवं अपेक्षित दस्तावेज (प्वाइंट नं. 6 में निर्दिष्ट) जमा कराने हैं।
10. बोलीकर्ताओं को अपनी बोलियां वापस लेने की आज्ञा नहीं है यदि उनके द्वारा एक बार ईएमडी जमा करा दी गई है। नीलामी में बोलीकर्ताओं के भाग न लेने के संबंध में ईएमडी जमा कर दी जाएगी।

11. ऑनलाइन पारस्परिक बोली के दौरान बोलीकर्ता, बोली वृद्धि राशि उपरोक्त निर्दिष्ट में वर्णित प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अपनी बोली राशि को गुणकों में सुधारेंगे। अगर ई-नीलामी समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर बोली प्रस्तुत की जाती है तो समापन समय (ई-नीलामी समापन के समय तक प्रति समय) स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगा। बोलीकार द्वारा उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मोल से कम नहीं) ई-नीलामी समापन पर प्रस्तुत करने पर उसे अधिकृत अधिकारी/सिक्वोर्ड क्रेडिटर द्वारा अपेक्षित सत्यापन के पश्चात सफल बोलीकार घोषित कर दिया जाएगा।
12. सफल बोलीकार की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) भाग बिक्री निर्णय हेतु रख ली जाएगी तथा असफल बोलीकार की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई व्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीकार को बिक्री मूल्य का 25% पहले से अदा ईएमडी के समावेश सहित/अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति पर 24 घंटों के भीतर जमा करानी होगी तथा शेष बिक्री मूल्य की 75% राशि को अधिकृत अधिकारी की मर्जी से लिखित रूप में बढ़ाई गई अवधि से या पूर्व 15वें दिन जमा कराना होगा। सफल बोलीकार द्वारा भुगतान में डिफाल्ट होने पर प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा कराई गई राशि जब्त करने योग्य होगी तथा सम्पत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी एवं डिफाल्टिंग देनदार को इस सम्पत्ति के संबंध में दावा या राशि का क्लेम नहीं होगा।
13. सम्भावित क्वालीफाइड बोलीकार ई-नीलामी पर मैसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लि. से ई-नीलामी की तिथि से पूर्व ऑनलाइन ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। न तो अधिकृत अधिकारी/बैंक तथा न ही मैसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लि. किसी इंटरनेट नेटवर्क समस्या के लिए जिम्मेदार होंगे तथा इच्छुक बोलीकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वे तकनीकी तौर पर पूरी तरह से तैयार हैं।
14. संबंधित अधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने को बाध्य नहीं है तथा अधिकृत अधिकारी के पास किसी भी/सभी प्रस्तावों को स्थगित/लम्बित/ई-नीलामी को रद्द करने का अधिकार बिना कारण बताए होगा।
15. बोलीकारों को सलाह दी जाती है कि वेब पोर्टल आफ मैसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लि., <https://www.bankeauctions.com> एवं www.hdfcbank.com पर बोली जमा कराने या ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी संबंधी विस्तृत नियम तथा शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें।
16. ऑनलाइन बोली के दौरान कनेक्टिविटी संबंधी कोई मामला बोलीकर्ता की जिम्मेदारी होगा एवं इस संदर्भ में कोई दावा विचारार्थ न होगा। इच्छुक बोलीकर्ता <https://www.bankeauctions.com> पर अपना नाम पंजीकृत कराएंगे तथा निःशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करेंगे। बोलीकर्ता जो पैन के सत्यापन के पश्चात इस नीलामी के लिए सी 1 इंडिया प्रा. लि. द्वारा प्रपत्र वैध आईडी व पासवर्ड रखते हैं, को उपरोक्त पोर्टल पर ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने की आज्ञा है।
17. बोलीकर्ता के हित में अंतिम क्षण में बोली नहीं होनी चाहिए न ही एचडीएफसी बैंक लिमि. और न ही सेवा प्रदाता किसी त्रुटि/ फेल्योर (पावर फेल्योर या इंटरनेट फेल्योर) इत्यादि के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी विकट स्थितियों से बचने के क्रम में बोलीकर्ताओं से सुनिश्चित करने हेतु निवेदन है कि वे सभी जरूरी/ वैकल्पिक इंतजामों से युक्त हों एवं सभी वैकल्पिक जैसे कि पावर सप्लाई बैकअप इत्यादि हो ताकि वे ऐसी स्थितियों में न पड़ें तथा ऑनलाइन पारस्परिक बोली में सफलतापूर्वक भाग लेने योग्य हों।
18. बैंक द्वारा बिक्री की सुनिश्चितता पर एवं यदि भुगतान के क्रम में बिक्री की शक्ति का पालन करते हुए अधिकृत अधिकारी सिक्वोरिटी इंस्ट्रुमेंट (इनफोर्समेंट) रूल्ज 2002 के एपेंडिक्स V में दिए फार्म में खरीदार (रॉ) के पक्ष में अचल सम्पत्ति के लिए सेल सर्टीफिकेट्स जारी करेगा। सेल सर्टीफिकेट केवल खरीदार (रॉ)/आवेदक (कों) के नाम पर जारी किया जाएगा एवं किसी अन्य नाम (मों) पर जारी नहीं किया जाएगा।
19. यदि बिक्री कीमत 50 लाख से अधिक है एवं नीलामी खरीदार/ सफल बोलीकर्ता सम्पत्ति के मालिक के नाम पर टीडीएस पर बिक्री कीमत का 1% घटाएगा एवं इसे इन्कम टैक्स एक्ट के सैक्शन 194। ए के अनुरूप इसे इन्कम टैक्स विभाग को जमा कराएगा तथा बिक्री कीमत का केवल 99% बैंक को जमा कराया जाना है। बिक्री प्रमाण-पत्र टीडीएस जमा कराने हेतु चालान एवं प्रपत्र 26 क्यूबी की प्राप्ति पर जारी किया जाएगा।
20. खरीदार लागू स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/ट्रांसफर खर्चों, शुल्क इत्यादि को वहन करेगा तथा वैधानिक/गैर-वैधानिक देवों, टैक्सों, रेंटों, असेसमेंट चार्जिस, शुल्क इत्यादि किसी से भी संबंधित को वहन करेगा।
21. बैंक द्वारा बिक्री प्रमाण-पत्र जारी होने पर बिक्री पूर्ण होगी तथा बैंक द्वारा कोई दावा विचारार्थ न होगा।
22. इस सूचना में कुछ भी गठित नहीं है या सम्पत्ति की बिक्री हेतु बैंक के भाग पर कोई प्रतिबद्धता या रिप्रेजेंटेशन गठित किया नहीं माना जाएगा। बैंक कोई कारण, जो फिट माना जाए अथवा बिना कोई कारण बताए बिक्री रद्द करने का अधिकार आरक्षित रखते हैं एवं ऐसी निरस्तता का कारण बोलीकर्ताओं को नहीं बताया जाएगा।

सम्पत्ति का शैड्यूल

1. हरि ओम गोयल पुत्र एस.के. गोयल द्वारा मोर्टगेज्ड 245 वर्ग मी. माप के मकान नं. 477, सैक्टर-12, पंचकूला।
2. लव गोयल पुत्र हरि ओम गोयल द्वारा मोर्टगेज्ड प्लॉट नं. 67, इंडस्ट्रियल पार्क, एचएसआईडीसी, बरवाला, मातावाली, रत्नेवाली रोड, जिला पंचकूला।

दिनांक : 15 जनवरी, 2017

स्थान : चंडीगढ़

हस्ता./-
अधिकृत अधिकारी
मधुर शर्मा
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड